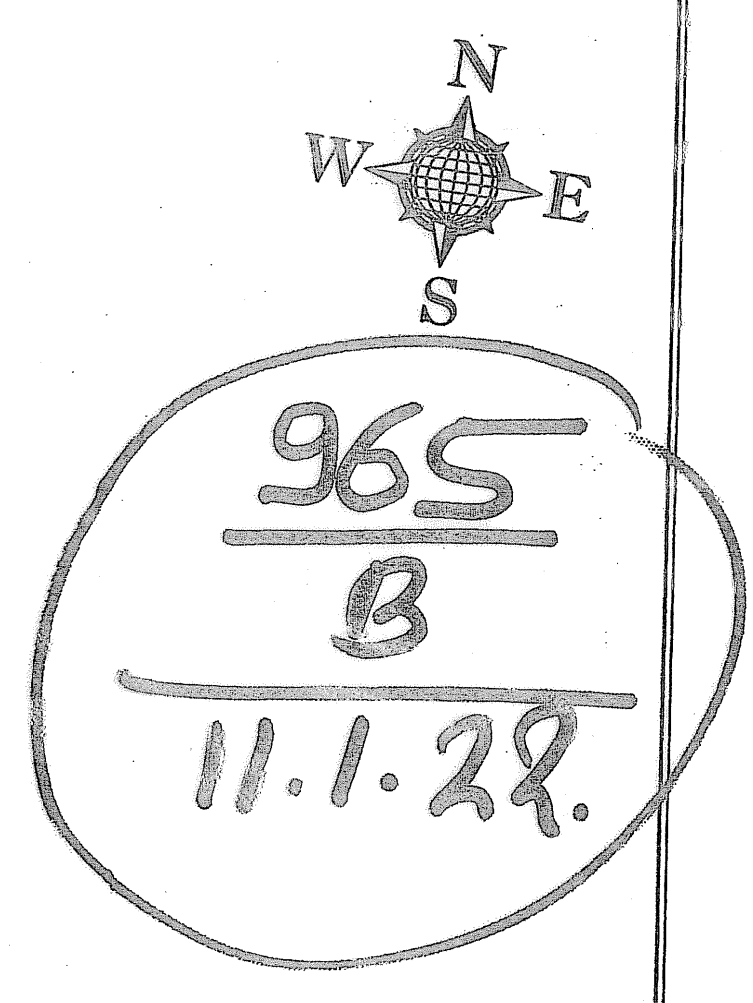
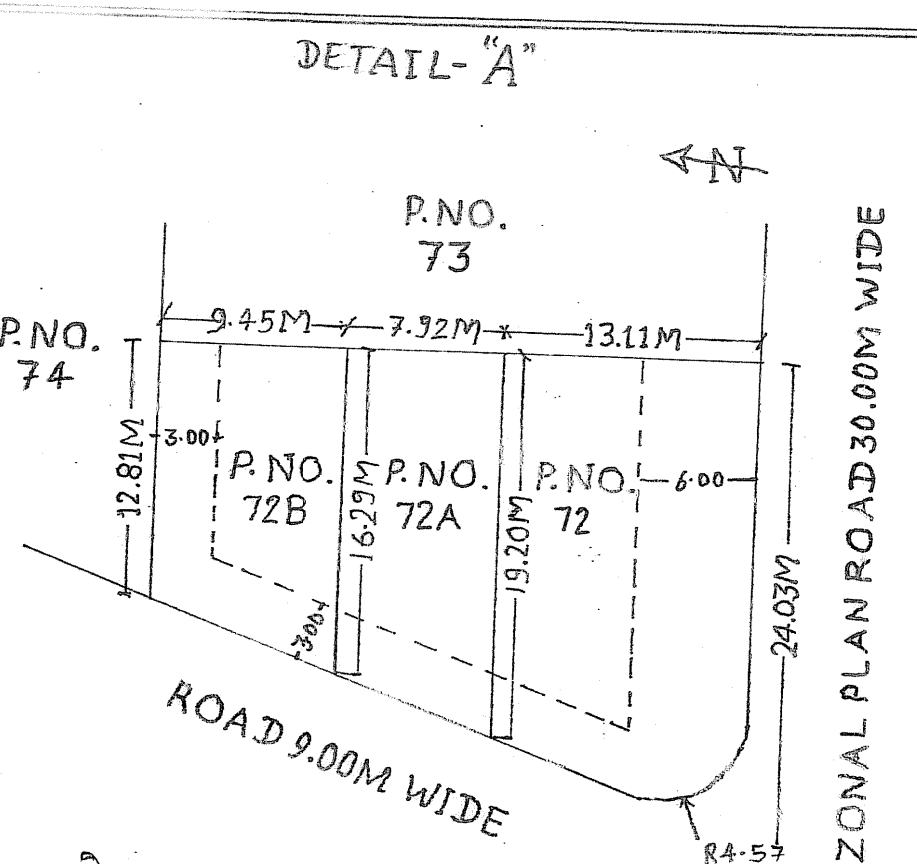
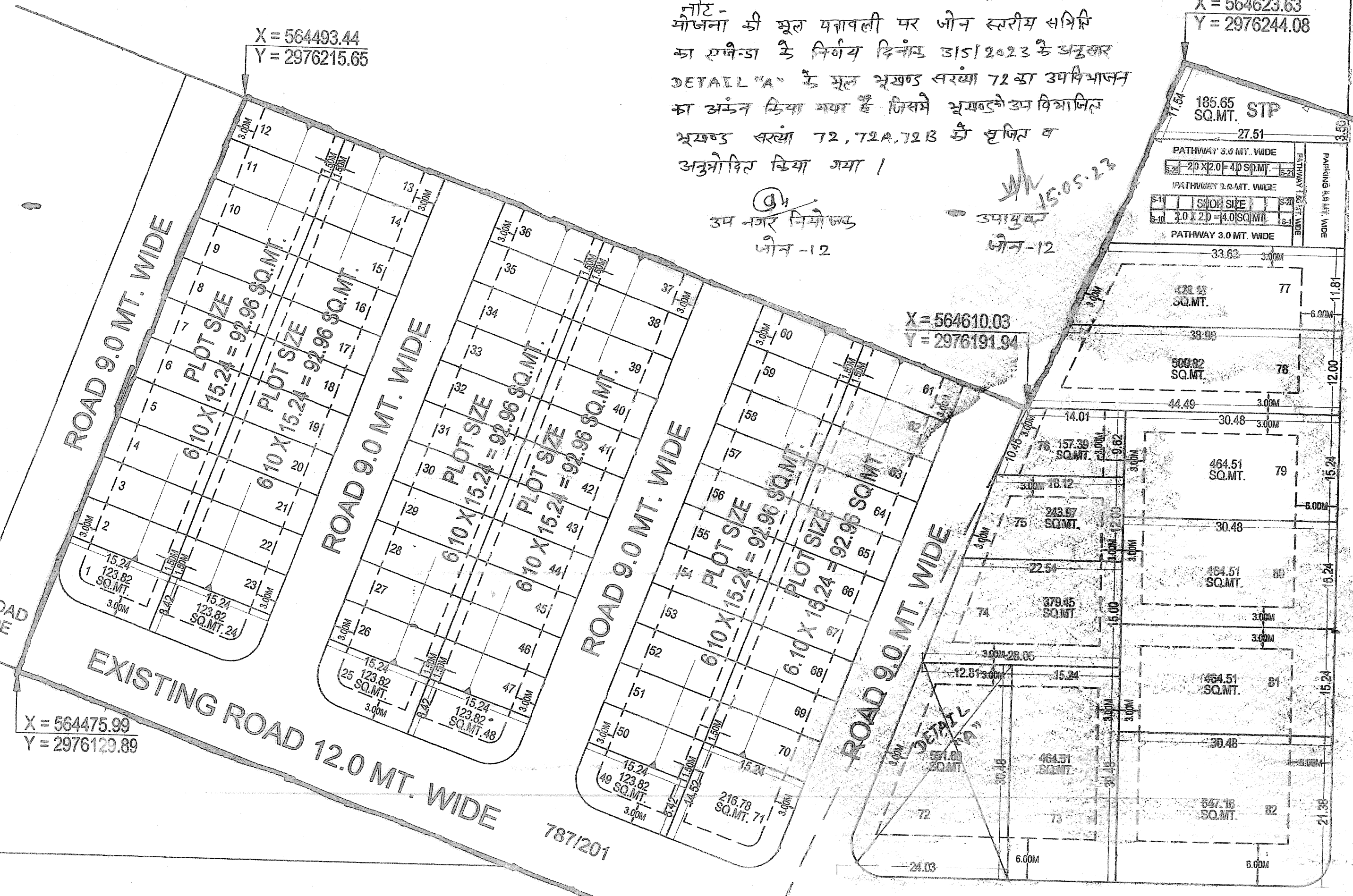


PROPOSED LAY OUT PLAN OF "VRB PRIME" UNDER KHASRA NO.- 790/200, 787/201. AT VILLAGE :- BINDAYKA, TEH.-: JAIPUR & JAIPUR.



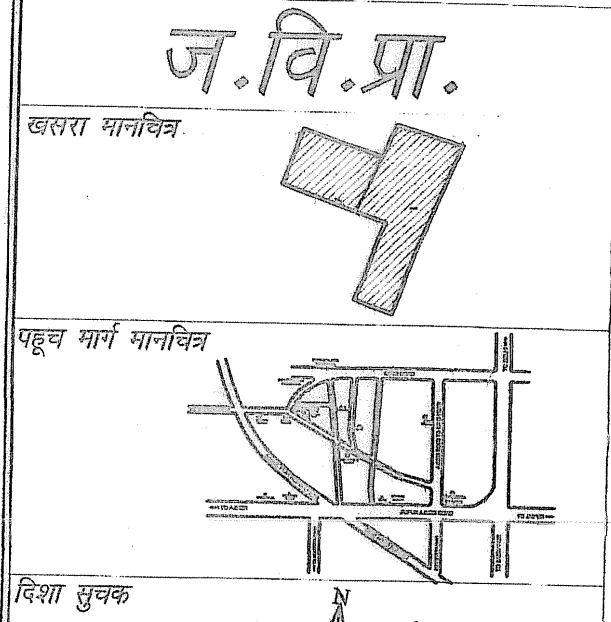
नोट -
मोडर्न की मूल योजना पर जोन करीब सत्रि
का एपेक्षा के निर्णय दिनांक 2023 के अनुसार
DETAIL "A" के मूल भूखण्ड करवा 72 का उपविभाजन
का अंमल किया गया है जिससे भूखण्ड उप विभाजित
भूखण्ड करवा 72, 72A, 72B के स्थित व
अनुमोदित किया गया।
उप नगर नियोजक
जोन-12



ZONAL PLAN ROAD 30.0 MT. WIDE

ZONAL PLAN ROAD 30.0 MT. WIDE

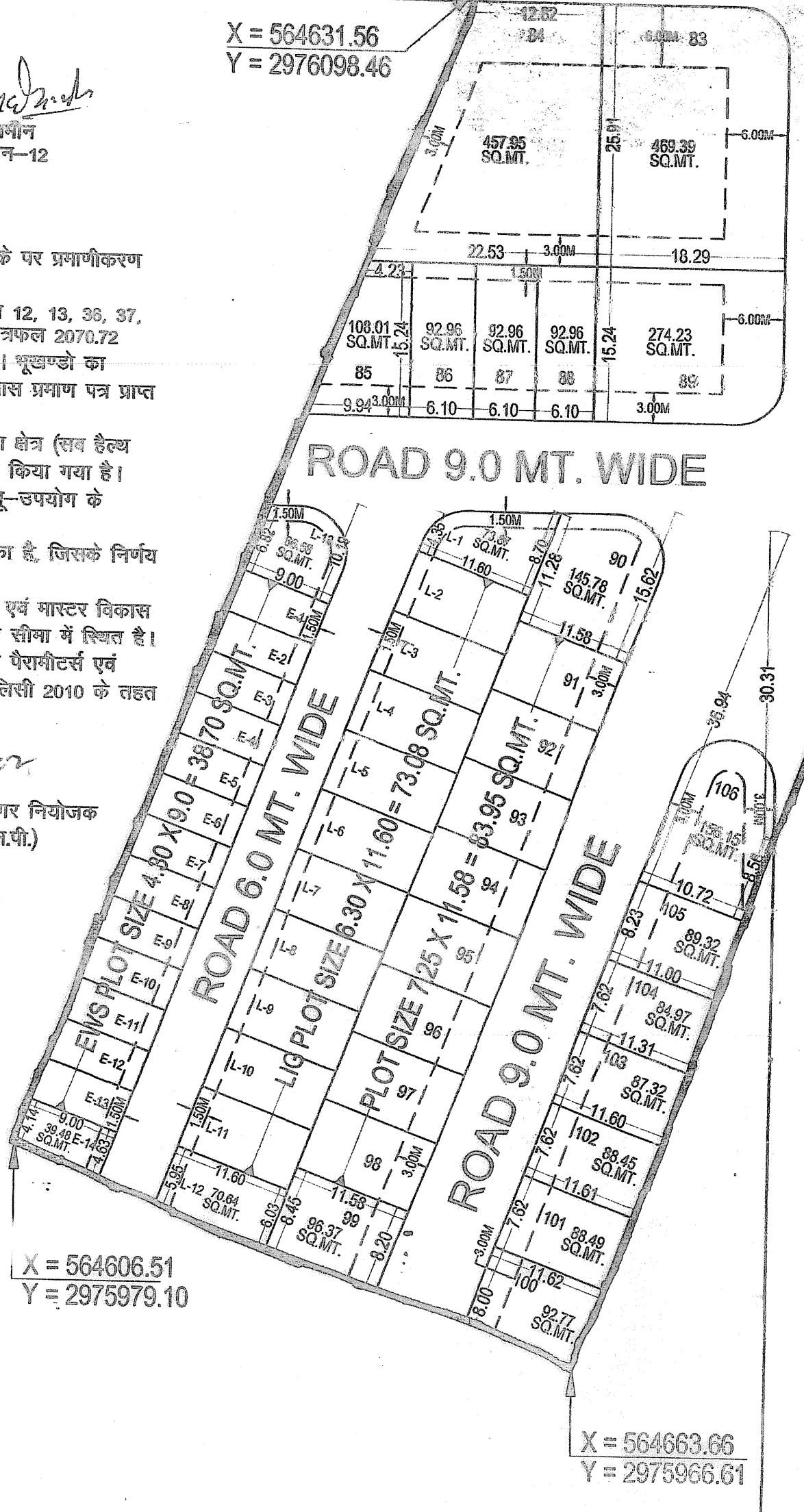
ZONAL PLAN ROAD 30.0 MT. WIDE



S.No.	LAND USED	AREA IN SQ.MTR.	(%)
1.	RESIDENTIAL	14035.23	46.44 %
2.	EWS & LIG	1404.15	04.65 %
3.	RETAIL	116.00	0.36 %
TOTAL = 1 TO 3		16435.38	51.45 %
4.	PARK	1597.53	05.00 %
5.	S.W.M.	50.00	0.16 %
6.	MOBILE TOWER	20.00	0.06 %
7.	FACILITY/ PUBLIC UTILITY	1026.90	03.22 %
8.	ZONAL 30 M.	7587.13	23.75 %
9.	ROAD	5228.06	16.36 %
TOTAL = 4 TO 9		15509.62	48.55 %
SCHEME AREA		31945.00	100.00 %
		(03.1945 HECT.)	

योजना मानचित्र पर खसरा सुकर हणोज जोन के अधीन किया गया है।
नोट
1. कार्पर के बूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
2. आवेदित भूमि की 80% की कार्यवाही दिनांक 08.07.2021 को हो चुकी है।
3. योजना की भूमि में सार्वजनिक उपयोग की धारा 80% की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं शेष के पर प्राणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार आचारिक विकास के एजेंडा में आवेदक द्वारा बूखण्ड संख्या 12, 13, 36, 37, 60, 61, 74, 75, 76, 85, 86, 87, 88, 89, 100 एवं बूखण्ड संख्या 108 कुल 18 बूखण्ड कुल क्षेत्रफल 2070.72 वर्गमीटर है, जो जमिनीय में अनुमोदित योजना के 12.00 प्रतिशत क्षेत्रफल को घेरे रहन रखा गया है। बूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुरू करवाकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
5. बीपीसी (एलपी) की बैठक 309 दिनांक 24.11.2021 के निर्णय अनुसार प्रस्तावित योजना में सुविधा क्षेत्र (सब हैल्थ सेक्टर) व पब्लिक यूटिलिटी हेतु प्रस्तावित भूमि को केवल पब्लिक यूटिलिटी/सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। उक्त भाग पर मास्टर विकास योजना 2025 को डीपीसीआर बाल्युन 4 में Other Recreational यू-उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र हेतु उपयोग के अनुसार एम्बेड्ड प्रस्तावित किया जावेगा।
6. योजना का अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 309 वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
7. योजना का यू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अंतर्गत यू-उपयोग कॉमर्शियल व प्रोफेशनल एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अंतर्गत यू-उपयोग यू-1 (आवासीय) व Other Recreational है एवं नगर निगम योजना में स्थित है।
8. बीपीसी (एलपी) की बैठक 309 दिनांक 24.11.2021 के निर्णय कि यालना में योजना के बूखण्डों पर पेरामीटर्स एवं सर्टीफिकेट जमिनीय (जयपुर रीजन गवर्न) विनियम 2020 के अनुसार व योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के तहत जारी किया जा रहा है।
सहायक नगर नियोजक
जोन-12
तहसीलदार
जोन-12
उपप्रमुख
जोन-12
वरिष्ठ नगर नियोजक
बीपीसी (एलपी)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बीपीसी (एलपी)

नोट -
मूल योजना के पैरा करवा 1241N की सीमान
आयुक्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया योजना
में आचारिक विकास कार्य के लिए क्षेत्र
मार्ग बूखण्डों की योजना में आचारिक
कार्य शुरू होने के पलखण्ड भूखण्ड करवा 12,
36, 37, 60, 61, 74, 75, 76, 85, 86, 87, 88, 89, 100, 104
कुल भूखण्ड 16 में सम्मिलित 12.57. रहन सुका
किया जा रहा है।
उप नगर नियोजक
जोन-12
आयुक्त मंत्री
जोन-12



DEVELOPED BY:-
VRB Builders & Developers Pvt. Ltd.
योजना का नाम:-
PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"VRB PRIME"
UNDER KHASRA NO.- 790/200, 787/201.
AT VILLAGE :- BINDAYKA, TEH.-: JAIPUR & JAIPUR.
जोन संख्या = 12
स्केल :- 1:500
सहायक नगर नियोजक
जोन-12
तहसीलदार
जोन-12
उपप्रमुख
जोन-12
वरिष्ठ नगर नियोजक
बीपीसी (एलपी)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बीपीसी (एलपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण
CONSULTANT:-
Cad Max
PROJECTS (P) LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 982945031